

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(6)आयो.-1/सां./2019

जयपुर, दिनांक:- 10 MAY 2019


-: आज्ञा :-

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.04 एवं प. 12(6)वित्त/नियम/2010 दिनांक 18.05.2011 के अनुसार राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के निम्नलिखित अधिकारी जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इनकी जन्मतिथि कॉलम संख्या 4 में अंकित है और ये कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं। निम्न अधिकारी को कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से एतद्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	जन्मतिथि	60 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री केदार नारायण विजय	सांख्यिकी अधिकारी	05.09.1959	04.09.2019	30.09.2019


कार्मिक (क-3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आदिनांक तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/एफ.आई.आर./शिकायत विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से


(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव